न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1375–पीबीआर/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 17–04–2014 पारित द्वारा न्यायालय आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद के प्रकरण कमांक 133/अपील/2010–11.

.....

कृष्ण कुमार आत्मज श्री रामरतन राठौर,
निवासी मेघनाथ चौक टिकारी बैतूल
जिला बैतूल म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

1–रीशिराम आ. रामरतन राठौर
2–श्रीमती विद्यावती पत्नि श्री रघुवर प्रसाद राठौर
दोनों निवासी मेघनाथ चौक टिकारी जिला बैतूल
3–श्रीमती उषा बाई उर्फ मुन्नी बाई राठौर
पत्नि श्री आत्माराम राठौर निवासी मेन रोड
झल्लार तहसील भैंसदेही जिला बैतूल म0प्र0

..... अनावेदकगण

.....

श्री नीरज श्रीवास्तव, अभिभाषक–आवेदक
श्री आर0के0लोखण्डे, अभिभाषक–अनावेदक कमांक 2

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 10/9/14 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–4–14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 2 विद्यावती द्वारा तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 109–110 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसके पति के नाम ग्राम टिकारी स्थित भूमि 970/1 रकवा 3.739 हेक्टेयर, सर्वे नम्बर 970/2 रकवा 0.662 हेक्टेयर एवं 885/2 रकवा 1.761 हेक्टेयर थी । उभयपक्ष स्व0रामरतन के पुत्र एवं पुत्री होकर आपस में सगे भाई–बहन है । आवेदक के अनेकबार निवेदन करने के बावजूद भी वे उसे प्रश्नाधीन भूमि में शामिल नहीं कर रहे हैं और न ही हक देने के इच्छुक है, अतः प्रश्नाधीन भूमि पर सहखातेदार के रूप में उसका नाम दर्ज किया जाये । तहसीलदार द्वारा 136/अ–6/2008–09 दर्ज कर दिनांक 7–10–2010 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक व अनावेदक कमांक 1, अनावेदक कमांक 2 एवं अनावेदक कमांक 3 का नाम दर्ज किया गया । तहसीलदार के आदेश से व्यथित होकर आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील प्रकरण कमांक 16/अ–6/2010–11 में दिनांक 16–5–2011 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश स्थिर रखते हुये अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई और अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 17–4–14 को आदेश पारित कर तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुये अपील निरस्त की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है प्रश्नाधीन भूमियॉ आवेदक के पिता स्व0रामरतन को उनके पिता से प्राप्त हुई थी । चूँकि स्व.रामरतन अपने पिता के एकमात्र उत्तराधिकारी थे इसलिये प्रश्नाधीन भूमि उनकी स्वअर्जित सम्पत्ति हो गई है इसलिये उन्हें प्रश्नाधीन संपत्ति की वसीयत करने का पूर्ण

अधिकार था जिसका प्रयोग करते हुये स्व0रामरतन ने अपने जीवन काल में वसीयतनामे का निष्पादन किया जिसके आधार पर उक्त सम्पूर्ण भूमि आवेदक को प्राप्त होनी चाहिये । आयुक्त द्वारा दिनांक 27–3–14 को उभयपक्ष की उपस्थिति में आगामी तिथि तक यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये गये थे और प्रकरण में दिनांक 15–5–15 की तिथि नियत की गई थी, परन्तु उनके द्वारा बीच में ही दिनांक 3–4–14 को प्रकरण सुनवाई में लिया जाकर स्थगन आदेश निरस्त कर दिया गया और प्रकरण अंतिम आदेश हेतु दिनांक 17–4–14 को नियत कर दिया गया एवं इसी दिनांक को अंतिम आदेश पारित कर दिया गया इससे स्पष्ट है कि आयुक्त द्वारा आवेदक को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है ।

(2) आयुक्त द्वारा दिनांक 17–4–14 को आदेश पारित किया गया और उसी दिन पटवारी ने अनावेदिका कमांक 2 के पक्ष में नामान्तरण स्वीकृत कर दिया एवं उसके द्वारा सम्पूर्ण भूमि विकय भी कर दी गई । इस आधार पर उल्लेख किया गया है कि एक ही दिन में की गई सम्पूर्ण कार्यवाही संदिग्ध है ।

(3) आवेदक की ओर द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 बैतूल के न्यायालय में व्यवहार वाद प्रसतुत किया गया है जो कि अभी प्रचलित है अतः व्यवहार वाद प्रचलित रहने के दौरान अनावेदक कमांक 2 के द्वारा भूमि का विकय करने से संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 52 का उल्लघंन हुआ है । अंत में लिखित तर्क में उल्लेख किया कि निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर स्व.रामरतन की वसीयत के आधार पर वादग्रस्त भूमि पर राजस्व अभिलेखों में आवेदक का नाम दर्ज किया जाये ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में मुख्य रूप से यही बताया कि प्रश्नाधीन भूमि पैतृक भूमि है जिसकी वसीयत करने का अधिकार स्व.रामरतन को नहीं था । यह भी कहा गया कि व्यवहार न्यायालय द्वारा आवेदक की ओर से व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 39 नियम 1 एवं 2 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया है जिसकी अपील भी निरस्त हो चुकी है । ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित है क्योंकि व्यवहार

न्यायालय द्वारा आवेदक का स्वत्व नहीं माना गया है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया कि यदि प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा किया गया है तो आवेदक व्यवहार न्यायालय से विक्रय को शून्य घोषित करा सकता है । विक्रय के आधार पर इस न्यायालय द्वारा कोई भी राहत आवेदक को नहीं दी जा सकती है। उनके द्वारा आयुक्त का आदेश उचित होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया।

5/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमियॉ पैतृक संपत्ति है जो आवेदक के पिता स्व.रामरतन को उनके पिता से प्राप्त हुई थी । इस प्रकार प्रश्नाधीन भूमियॉ स्व0रामरतन की स्वअर्जित सम्पत्ति नहीं थी इस कारण उन्हें वसीयत करने की अधिकारिता नहीं थी और ऐसे वसीयतनामे के आधार पर वसीयतग्रहिता का नामान्तरण नहीं किया जाकर मृतक भूमिस्वामी के सभी वैध वारिसानों का नामान्तरण करने में तहसीलदार द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है और तहसीलदार के आदेश की पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी व अपर आयुक्त द्वारा निष्कर्ष निकालते हुये की गई है । जिसमें किसी प्रकरण की कोई अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षो में हस्तक्षेप का आधार नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–4–14 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर